# न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

## आज्ञा–पत्र

उनवान अरविन्द गुप्ता बनाम कृष्णचन्द गुप्ता (1/4) गीता बाई

किस्म मुकदमा धारा-223 अपील संख्या 2023/191

अभिभाषक अपीलान्ट श्री सुमित मीणा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए |
|---|---|---|
| 22/1/2025 | पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलान्ट उपस्थित! रेस्पो. क्र. R-1 ता. 12 के नोटिस जारी किये जावे। पत्रावली नोटिस तलबी हेतु अंतिम अवसर दिया जाकर दिनांक 19/02/2025 को पेश हो!<br>(दीप्ति रामचन्द्र मीना)<br>भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन<br>राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा | |
| 19-2-2025 | पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक परिषद द्वारा कार्य स्थगित होने से पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 26-3-2025 को पेश हो।<br>(दीप्ति रामचन्द्र मीना)<br>भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन<br>राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा | |
| 26.3.25 | पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट एवं अपीलांटगण को रुक-रुक कर तीन बार आवाजें लगवायी गयी। फिर भी उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में रेस्पो. क्र. 1 ता. 12 के नोटिस सम्मन तामील मार्फत रजिस्टर्ड ए.डी. आदिनांक तक पेश नहीं किये गये हैं। अतः पत्रावली अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली कैफियत सुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।<br>(दीप्ति रामचन्द्र मीना)<br>भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन<br>राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा | ★ कोटा ★ |

F.D.

# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, कोटा केम्प बारां

01. अरविन्द गुप्ता पुत्र श्री धन्नालाल आयु 62 वर्ष जाति महाजन निवासी बस स्टेण्ड, रामगढ तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0)

02. महावीर गुप्ता पुत्र श्री धन्नालाल आयु 60 वर्ष जाति महाजन निवासी बस स्टेण्ड, रामगढ तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0)

– **अपीलान्टगण**

**बनाम**

01. स्व.कृष्णचन्द्र गुप्ता पुत्र जगन्नाथ निवासी विज्ञान नगर कोटा (मृतक)

1/1 गीता बाई पत्नि स्व. कृष्णचन्द्र गुप्ता जाति महाजन निवासी 4–फ–9, अशोक ब्लॉक, विज्ञान नगर, कोटा जिला कोटा (राज.)

1/2. मंजू पुत्री स्व. कृष्णचन्द्र गुप्ता जाति महाजन निवासी 4–फ–9, अशोक ब्लॉक, विज्ञान नगर, कोटा जिला कोटा (राज.)

1/3. शिल्पा पुत्री स्व. कृष्णचन्द्र गुप्ता पत्नि ललित किशोर खण्डेलवाल जाति महाजन निवासी 267, शास्त्री नगर, गुरुद्वारे के पास दादाबाडी, कोटा (राज0)

1/4. संजय गुप्ता पुत्र स्व. कृष्णचन्द्र गुप्ता जाति महाजन निवासी FLATE NO. 201, निम्बस टॉवर पेराएमाउन्ट सिम्फनी, क्रॉसिग रिपब्लिक, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)

02. चन्द्रप्रकाश पुत्र हजारीलाल जाति महाजन निवासी 77–78, पोरवाल भवन, बल्लभबाडी, कोटा (राज.)

03. जगदीशचन्द्र गुप्ता पुत्र हजारीलाल जाति महाजन निवासी 2–ए–3, महावीर नगर तृतीय, कोटा (राज.)

04. भवानीशंकर पुत्र हजारीलाल जाति महाजन निवासी गुर्जरो का मोहल्ला तालाब पाडा, बारां (राज.)

05. हेमराज गुप्ता पुत्र हजारीलाल जाति महाजन निवासी बाबा गेस्ट हाऊस के सामने की गली, नारायण टॉकीज के पास, रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज.)

06. श्रीमति लाड बाई पुत्री हजारीलाल पत्नि शंभूदयाल जाति महाजन निवासी विजेन्द्र भवन, पाली रोड, नर्सरी के सामने, श्योपुरकलां (मध्यप्रदेश)

अरविन्द गुप्ता

07. श्रीमति प्रेम गुप्ता पुत्री धन्नालाल पत्नि स्व. बाबूलाल जाति महाजन निवासी खातियो का मोहल्ला, प्यारेलाल जी की बगीची के पीछे, बारां (राज.)

08. श्रीमति गीता जैन पुत्री धन्नालाल पत्नि रामस्वरुप जैन जाति महाजन निवासी 59, गुलाब विहार, मोरानी मार्केट के सामने, सांगानेर, जिला जयपुर (राज.)

09. श्रीमति बृजेश जैन पुत्री धन्नालाल पत्नि सौभागमल जैन जाति महाजन निवासी 2–बी–4, महावीर नगर तृतीय, कोटा (राज.)

10. श्रीमति मंजू गुप्ता पुत्री धन्नालाल पत्नि सुरेन्द्र गुप्ता जाति महाजन निवासी पोरवाल भवन, बोरखेडा, कोटा (राज.)

11. श्रीमति जयमाला गुप्ता पुत्री धन्नालाल पत्नि दिनेश गुप्ता निवासी पोरवाल टेन्ट हाऊस, सुल्तानपुर, जिला कोटा (राज.)

12. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज जिला बारां

**– रेस्पोडेन्टगण**

**अपील अन्तर्गत धारा 223 R.T. Act विरूद्ध अन्तिम डिक्री व निर्णय दिनांक 10.05.2018 वाद संख्या 115/2014 बउनवान कृष्णचन्द्र बनाम चन्द्रप्रकाश वगैरह धारा 88, 89, 53, 188 आर.टी. एक्ट न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगंज**

**महोदय,**

अपीलान्ट की ओर से निम्न आधारों पर यह अपील प्रस्तुत है :–

01. यह कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी कृष्णचन्द्र गुप्ता की मृत्यु होने के कारण अपील में उनके कायम मुकामान रेस्पाडेन्ट क्रम 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 के रुप में जोडे गये है।

02. यह कि निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 10.05.2018 एक तरफा पारित प्रारंभिक डिक्री दिनांक 04.11.2016 की पालना में प्राप्त बंटवारा प्लान जो राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के प्रावधानों से असंगत एवं मनमाना होने से निरस्तनीय है।

02. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्रारंभिक डिक्री दिनांक 04.11.2016 की अपील अपीलान्टगण द्वारा इस अपील के साथ प्रस्तुत कर दी जिसके अपील मीमो में विवादित आराजियात में वादी के विरासतन हक अधिकारों के बारें में विस्तृत विवरण दिया गया है।